निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ 1936 (श0)

(सं0 पटना 490) पटना, सोमवार, 9 जून 2014

सं0 11 / वि02–पि0व0आ0–08 / 2008 सा0प्र0—6455

सामान्य प्रशासन विभाग

————————

संकल्प

16 मई 2014

विषयः—बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–19 पर दर्ज "खतवे" जाति के विलोपन के उपरांत "खतवे" को चौपाल अनुसूचित जाति की उपाधि घोषित करते हुए चौपाल जाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य देय सुविधायें प्रदान करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9 (1) (क) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे, जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा–9 (1) (ग) के अनुसार समय–समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यो का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जायेगा।

(2) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–239 दिनांक 01.09.2008 द्वारा सलाह दी गई थी कि ***राज्य सरकार के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–19 पर दर्ज "खतवे" जाति को विलोपित कर दिया जाय।*** उक्त के अनुपालन में राज्य मंत्रिपरिषद् के स्वीकृति के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–17891 दिनांक 28.12.2012 द्वारा "खतवे" जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) से विलोपित कर दिया गया। साथ ही आयोग के परामर्शानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–4496 दिनांक 18.03.2013 द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित ओ0बी0सी0 की सूची से "खतवे" जाति को विलोपित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया, परन्तु अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से विलोपन के क्रम में खतवे समुदाय के सदस्यों को जाति

प्रमाण–पत्र मिलना बन्द हो गया। साथ ही विभिन्न श्रोतों से यह पृच्छा की जाने लगी कि उक्त विलोपन के क्रम में आरक्षण की दृष्टि से "खतवे" जाति का स्थान कहाँ है ?

(3) उक्त परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–2222 दिनांक 17.02.2014 द्वारा आयोग से यह परामर्श देने हेतु अनुरोध किया गया कि "खतवे" जाति को अनुसूचित जाति की सुविधा प्रदान होने तक अत्यन्त पिछड़ा वर्ग का लाभ पूर्ववत् जारी रखा जाय, जिसके क्रम में आयोग के पत्रांक–53 दिनांक 05.03.2014 द्वारा परामर्श दिया गया है कि बिहार में खतवे नाम की कोई जाति नहीं है, बल्कि यह चौपाल की उपजाति/उपाधि है।

(4) उल्लेखनीय है कि ***बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।***

(5) आयोग द्वारा दिये गए परामर्श के आलोक में भली–भाँति विचार करने के उपरांत निर्णय लिया गया है कि बिहार में खतवे जाति अलग नहीं है, बल्कि चौपाल जाति की उपाधि है। साथ ही यह भी निदेश है कि बिहार हेतु अधिसूचित अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–19 पर दर्ज "खतवे" जाति के विलोपन के उपरांत "खतवे" को चौपाल अनुसूचित जाति की उपाधि घोषित की जाय तथा सरकारी अथवा गैर सरकारी राजस्व एवं अन्य अभिलेखों में जहाँ कहीं भी "खतवे" अंकित है, उसे चौपाल पढ़ा जाय। इस क्रम में अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में बिहार के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति के क्रमांक–7 पर अंकित **"चौपाल"** के अनुसार चौपाल अनूसूचित जाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाय।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **490**-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in